न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई (राज0)

रामकरण सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0– /2023

प्रविष्टि दिनांक 07.02.2023

1. रामकिशन पुत्र पांचूलाल जाति मीणा उम्र करीब 42 साल निवासी ग्राम टूटोली तह० चाकसू जिला–जयपुर (राज०)

वादी

वनाम

1. रामकिशोर पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी ग्राम बडी बरथल तह० निवाई जिला–टोंक
2. प्रभात्या पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी ग्राम बडी बरथल तह० निवाई जिला–टोंक
3. हरि पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी ग्राम बडी बरथल तह० निवाई जिला–टोंक
4. बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज आईसीआईसीआई बैंक बड़ा बाजार निवाई जिला–टोंक
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा निवाई जिला–टॉक
6. तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री महेश शर्मा, वादी
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

दावा बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद दावा बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खं.नं. 3468 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खे.नं. 3469 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खे.नं. 3479 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खं.नं. 3480 रकबा 9 बिस्वा, खे.नं. 3481 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खं.नं. 3482 रकबा 3 बिस्वा गै०मु० चाह, खं.नं. 3483 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 3484 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 3485 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक (राज०) में स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते हुये चले आ रहें है। उपरोक्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं.1 व 2 का 1/2 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा है। वादी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर निरन्तर रूप से काश्त करता हुआ चला आ रहा है। यह कि वाद–पत्र में वर्णित आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से अनुसार बांटकर काबिज काश्त करते हुये चले आ रहे है, राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से तकासमा नहीं होने से आये दिन विवाद होने की स्थिति बनी रहती है व विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण अधिक धनबल वाले होने की वजह से तथा वादी कमजोर होने की वजह से व मौके पर खेतों की सीमाएँ निश्चित नहीं होने की वजह से विधिवत बंटवारा नही होने की वजह से मौके पर प्रतिवादीगण वादी की भूमि को हड़पने पर आमादा रहते है, इसलिये वादी के लिये अब यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी में वर्णित हिस्से एवं कब्जे के अनुसार विधिवत रूप से तकासमा करवाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट में पृथक–पृथक हिस्से अनुसार अंकन करवावें यदि हिस्से अनुसार विधिवत तकासमा नहीं होता है तो वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकेगी। इसलिये उपरोक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी में वर्णित हिस्से एवं कब्जे के अनुसार विधिवत रूप से तकासमा करवाया जाकर पृथक–पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना विधि संगत एवं न्याय संगत है। यह कि प्रतिवादीगण बिना विधिवत तकासमा हुये ही उपरोक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्तियों को विकय करने पर आमादा है और आये दिन मौके पर प्रोपट्री डीलरों को लाकर भूमि को दिखाते है इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द करवाने कि उपरोक्त आराजीयात का जब तक विधिवत तकासमा नहीं हो जाता है तब तक उपरोक्त आराजीयात को किसी को रहन, दान, बेचान नहीं करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से बाधा, मजाहमत हस्तक्षेप, दखलन्दाजी आदि नहीं करें व करावें। तथा प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार को उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जावे। ना ही उक्त ऐसा कृत्य स्वयं एवं अपने परिवारजनों, नौकर, रिश्तेदार आदि से करावें। यह कि यदि समय रहते

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया तो वादी अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जावेगा जिससे वादी को अकथनिय व अपरिमित क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप से किया जाना सम्भव नहीं होगा। यह कि बिनाय दावा आज से करीब 10–15 दिवस पूर्व उस समय पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा दीगर व्यक्तियों को लेकर वादी के हिस्से की भूमि को अपना बताकर विक्रय करने की बात करने लगे एवं उक्त भूमि को बेचने की धमकी दिये जाने के कारण आज तक लगातार पैदा हो रही है। यह कि प्रतिवादी सं. 6 भूमि लेण्ड होल्डर होने से उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 के यहां भूमि रहन होने की वजह से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। यह कि विवादग्रस्त आराजियात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से मान्य न्यायालय हाजा को उक्त वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि उक्त वाद उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मयाद पेश है।

अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत तकासमा इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वाद–पत्र में वर्णित भूमि आराजी खं.नं. 3468 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 3469 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा ख.नं. 3479 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खं.नं. 3480 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 3481 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 3482 रकबा 3 बिस्वा गै०मु० चाह, खं.नं. 3483 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 3484 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 3485 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला–टोंक में स्थित है, का वादी एवं प्रतिवादीगण के रिकार्ड में वर्णित हिस्से अनुसार विधिवत तकासमा किया जाकर अलग से नक्शा शीट में हिस्सा बनाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक रूप से इन्द्राज किया जाना विधि संगत व न्याय संगत है। यह कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से डिक्री सादिर फरमावें कि वाद–पत्र में वर्णित भूमि का जंब तक विधिवत तकासमा नहीं हो जाता है उस समय तक प्रतिवादीगण उक्त भूमि को किसी को रहन, व्यय, विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, मजाहमत, दखलन्दाजी, अड़चनें कारित नहीं करें ना करावें साथ ही प्रतिवादी सं. 6 को पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की यथावत स्थिति बनाये रखें। ना ही उक्त कृत्य स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नौकर, दीगर व अधिनस्थ कर्मचारियों से करावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 3 से दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण मे वाद पत्र के साथ जमाबंदी, नक्शाट्रेस, खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण समस्त के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की वादग्रस्त आराजियात खं.नं. 3468 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खे.नं. 3469 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खे.नं. 3479 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खं.नं. 3480 रकबा 9 बिस्वा, खे.नं. 3481 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खं.नं. 3482 रकबा 3 बिस्वा गै०मु० चाह, खं.नं. 3483 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 3484 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 3485 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा निवाई, तहसील निवाई का वादीगण व प्रतिवादगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार तकासमा हेतु वाद प्राथमिक डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में वादग्रस्त आराजियात का हिस्से अनुसार तकासमा चाहा गया है। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। ऐसे में वाद वादी तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाना व वाद ग्रस्त आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार प्राथमिक डिक्री फरमाया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी बाबत, तकासमा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा, विभाजन की हद तक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि भूमि आराजी खं.नं. 3468 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खे.नं. 3469 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खे.नं. 3479 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खं.नं. 3480 रकबा 9 बिस्वा, खे.नं. 3481 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खं.नं. 3482 रकबा 3 बिस्वा गै०मु० चाह, खं.नं. 3483 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 3484 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 3485 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक का मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार, पक्षकारो के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नवीनतम जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई (राज0)

प्राथमिक डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम निवाई व अलजाम रामकरण सिंह, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

प्रकरण सं0– /23

1. रामकिशन पुत्र पांचूलाल जाति मीणा उम्र करीब 42 साल निवासी ग्राम दूटोली तह० चाकसू जिला–जयपुर (राज०)

वादी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी ग्राम बडी बरथल तह० निवाई जिला–टोंक
2. प्रभात्या पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी ग्राम बडी बरथल तह० निवाई जिला–टोंक
3. हरि पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी ग्राम बडी बरथल तह० निवाई जिला–टोंक
4. बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज आईसीआईसीआई बैंक बड़ा बाजार निवाई जिला–टोंक
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा निवाई जिला–टॉक
6. तह्सीलदार निवाई जिला–टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री महेश शर्मा, वादी
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

दावा बाबत तकासमा

आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है एंव **प्रारम्भिक** डिक्री जारी जाती है कि वाद वादी बाबत, तकासमा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा, विभाजन की हद तक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि भूमि आराजी आराजी खसरा नम्बर खं.नं. 3468 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खे.नं. 3469 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खे.नं. 3479 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खं.नं. 3480 रकबा 9 बिस्वा, खे.नं. 3481 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खं.नं. 3482 रकबा 3 बिस्वा गै०मु० चाह, खं.नं. 3483 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 3484 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 3485 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक का राजस्व रिकार्ड अनुसार, पक्षकारो के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नवीनतम जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08/10/25 को जारी किया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक			मीज़ान		
मीज़ान					

उपखण्ड अधिकारी, निवाई